

MR. DEPUTY-SPEAKER : I want you to put the questions.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : तो मैं यह जानना चाहता हूँ वनस्पति जब गायब है और यह आशीर्वाद दे रहे हैं, कहते हैं हमने आवश्यकता पूरी है और सप्लाई करेंगे। इस तरह से नहीं होगा। आवश्यकता तेल के सीड्स की है। मूयफली के तेल में कहां तक हो सकता है? पिछले दिनों मोयाबीन, रेपनीड घ्रायल, पाम घ्रायल की जहां तक बात है

the latest new-fangled idea is to bring out cotton-seed oil

घ्राखिर इन सब का हिसाब क्या है? कच्चे माल की पूर्ति करने की दृष्टि से मन फनाबर, रेपसीड, पाम घ्रायल इनका आयात कितना हो रि आगे चलकर गडबडी न हो, कबल यह रहने से काम नहीं चलेगा कि हर इन्स्ट्रुटी का टैक धाबर कर लिया जाये। यह ठीक नहीं है, म्केमिटी से ही ब्लैक-मार्केट चलती है। तो आपूर्ति कैसे हा ठीक डग से चीनी के बारे में? अब उत्पादन न हो आवश्यकता के अनुसार और उमरे निग जो कच्चे माल की जरूरत है उसकी आपूर्ति कैसे करेंगे? आयात करेंगे, बाहर से कहा में लायेंगे? कनाडा में जो एक लाख टन देने की कागिण की थी उस क्यों नहीं लिया? मात्र २५०० टन दिल्ली में लाय कड़ी धूप में लाइन लगाकर खड़े हैं, उनका पता चलता है कि बीज गायब है। यहां पर सुपर बाजार की जो आवश्यकता थी उमरी पूर्ति आप क्या नहीं कर रहे हैं? यहां की आवश्यकता को आप कब तक पूर्ण करेंगे? रपडा मिलो की हडताल हा गई तो उसका आपने बटाना ले लिया। हमने केवल एक दिन की हडताल हुई।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Is the hon. Member giving information to the House or is he putting questions? He should frame his question and not go on making a speech.

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI : I could not follow it because the hon. Minister says that one man will not get more than 1 Kg. and one family will not

get less than 1 Kg.; what does this mean? I do not understand what it means.

इसमें एक जगह बताया है कि एक व्यक्ति को एक किलो से ज्यादा नहीं मिलेगा और एक परिवार को एक किलो से कम नहीं मिलेगा तो फिर मिलेगा कितना? यानि सबको एक किलो मिलेगा? मतलब क्या है? अगर हिन्दी चलन है तो हो सकता है मेरी समझ में न आया हो। अब ऐसा बक्तव्य हो तो कहना पड़ेगा पुराने जमाने में जैसा सुनते थे कि रोम जल रहा था तो नीरो बैठकर बासुरी बजा रहा था उसी तरह में जनता धूप में तड़प रही है और मंत्री महोदय बसी बजा रहे हैं। तो जो सबाल मैंने उठाए है मंत्री जी उनका ठीक जबाब दे।

श्री० शेर सिंह : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न प्रश्न किया है पहले मैं उसी का जबाब देना चाहता हूँ। उन्होंने जो यह बात कही कि एक किलो से ज्यादा एक व्यक्ति को नहीं और एक किलो से कम एक परिवार को नहीं, इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम और मिनिमम रख दिया है इसके अदर अधिक में अधिक और कम से कम। यह इसलिए किया कि जहरो में रूँ जगह, जिन समय कन्ट्रोल हुआ तो बम्बई शहर में दो किलो का आदमी देने लगे और देहात में एक परिवार को एक किलो भी नहीं मिलता था, कभी मिल गया और कभी नहीं मिला, आधा किलो भी नहीं मिलता था। इसलिए हमने यह फैसला किया कि आपको देहात में भी कम से कम एक परिवार को एक किलो देना चाहिए और बड़े से बड़े शहर में भी एक किलो प्रति व्यक्ति में ज्यादा नहीं देना चाहिये।
(व्यवधान)

SHRI S. M. BANERJEE : On a point of order. . .

MR DEPUTY-SPEAKER : I have not allowed him. The hon. Minister may continue

SHRI S. M. BANERJEE : I have a point of order about the statement itself. . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have not allowed him. There is no point of order, when the Minister is giving his reply. If there is a point of order, then this interruption is the point of order.

SHRI S. M. BANERJEE : About the statement, I have a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER : A point of order is with relation to the order in the House. An hon. Member may not like what the hon. Minister has said, and he may not agree with him, that is a different question, but that cannot be a point of order. The hon. Minister may now continue his reply.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : When I am on my legs, the other hon. Members must sit down. This is the point of order now. The difficulty is that the moment Members raise some objections, the hon. Minister is too quick to sit down and yield.

So I am helpless. If you do not yield, there is no point of order. (Interruptions)

13. Hrs.

There is no point of order. I am not admitting any.

SHRI S. M. BANERJEE : On a point of submission

MR. DEPUTY-SPEAKER : Not in the midst of the Minister's speech. (Interruptions).

Order, order. Mr. Banerjee, I know that you feel very deeply or very excited about these things. If I go into the record, I think I will find that you have interrupted one dozen times over this question. (Interruption).

I won't allow you any more. Kindly understand. Please co-operate.

प्रो० शेर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि हम ने सीमावे निर्धारित की है कि कम से कम गांव के बरबर भी हर परिवार को मिले और किसी शहर में भी चाहे कितना ही बड़ा शहर हो उस में भी एक किलो से ज्यादा नहीं मिलेगी। (ब्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, Any kind of interruptions without permission will not go on record

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, order. Will you sit down ?

प्रो० शेर सिंह : मैंने जा कहा कि यह गाइ-डलाइन्स हैं, डग का मतलब यह नहीं है कि शहर में एक किलो दे और गावों में कम दे। बल्कि राज्यों के ऊपर है चाहे तो बराबर भी दे सकते हैं। इसलिये गुजरात में आन्दोलन चला, वहाँ के लोगों ने यह जान उठाया कि देहान और शहर में अंतर क्या है। उसके बाद गुजरात में फैमला किया कि देहान और शहर को बराबर दी जायेगी। पंजाब में भी देहान और शहर में बराबर दे रहे हैं हरियाणा में भी शहर और गाव में बराबर दे रहे हैं। (ब्यवधान)

मैंने कहा कि राज्य सरकार पर छोड़ रखा है। मध्य प्रदेश वाले भी बराबर कर दे ता हम उस का स्वागत करेंगे। (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, please. Are you aware of the rules of the House? Order, please. Will you kindly sit down? (Interruptions). That is no reason why we should throw the rules to the four winds. This Calling Attention motion is being discussed. Only those whose names have appeared under the Motion can ask questions. You cannot come up suddenly and ask any question. (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I listen to change the rules, you can. Now, the Minister may kindly finish.